

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 11/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

7 आषाढ़, 1939 शक

सा.का.नि. (अ) --केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 26 के उपनियम (1) के अनुसरण में अधिसूचना सं० 608(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० 6/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

- '' (ii) सामान्य पोर्टल पर नेट बैंकिंग लागइन के माध्यम से सृजित इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड ;
(iii) सामान्य पोर्टल पर सृजित इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड ।''

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार